न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

पीठासीन अधिकारी : योगेश कुमार डागुर, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सख्या : 18/2010

तारीख दायरा : 16.03.2010

उनवान

1.बलबीर कोर पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट सिख निवासी सीलगांव तहसील मुण्डावर।

2.पलविन्दर कौर पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट सिख निवासी सीलगांव तहसील मुण्डावर।

3.जगमीतसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति जाट सिख निवासी सीलगांव तहसील मुण्डावर।

.....वादीगण।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसील मुण्डावर। ....प्रतिवादी।

(इस्तकराहक अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट)

उपस्थिति :–1. श्री सुरेश यादव, अधिवक्ता .....वादीगण की ओर से ।
प्रतिवादीगण की ओर से कोई उप0 नहीं।

न्यायालय द्वारा :–

:: निर्णय :: दिनांक: 08.7.19

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी ख.न. 50 रकबा 5 बीधा 7 बिस्वा , ख.न.51 रकबा 5 बीधा 5 बिस्वा वाके ग्राम सीलगांव में स्थित है जो विवादित आराजी है। विवादित आराजी मिन वादीगण के ताउ रतनसिंह पुत्र हरनामसिंह की आराजी है। उक्त आराजी ख.न.50 रकबा 5 बीधा 7 बिसवा में मिन वादीगण के ताउ का 1/2 भाग व ख.न.51 रकबा 5 बीधा 5 बिस्वा में 1/5 भाग मिन वादीगण के ताउ का है। मिन वादीगण के ताउ रतनसिंह नाऔलाद थे तथा दिनांक 20.10.2002 को फौत हो गये थे। मिन वादीगण के रतनसिंह जायज वारिस है तथा मिन वादीगण रतनसिंह के जायज वारिस है। वादीगण ने ही रतनसिंह की सेवा की है व रतनसिंह के मरने के बाद सामाजिक क्रियाकर्म भी मिन वादीगण ने ही किया है एवं विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। मिन वादीगण के पिता महेन्द्रसिंह व लक्ष्मणसिंह भी फौत हो चुके है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में रतनसिंह पुत्र हरनामसिंह के नाम दर्ज है और रतनसिंह फौत हो चुका है । उक्त आराजी का इतंकाल दिनांक 26.02.2010 को तहसीलदार मुण्डावर ने करने से इन्कार कर दिया। अतः आराजी ख.न. 50 रकबा 5 बीधा 7 बिस्वा में 1/2 भाग व ख.न.51 रकबा 5 बीधा 5 बिस्वा में 1/5 भाग में से मिन वादीगण 1 व 2 को 1/2 भाग व वादी स. 3 को 1/2 भाग का खातेदार घोषित किया जावे।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। पैरोकार सरकार ने न्यायालय में उपस्थित होकर इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी ख.न.50 रकबा 5 बीधा 7 बिस्वा वाके ग्राम सीलगांव जमाबन्दी स. 2064–67 के खाता सख्या 66 में रतन सिंह पुत्र हरनामसिंह जाट सिख का हिस्सा भूमि दर्ज नहीं है । ख.न. 51 रकबा 5.05 बीधा का जमाबन्दी स. 2064–67 के खाता सख्या 67 में रतनसिंह का 1/5 हिस्सा दर्ज है। वादीगण रतनसिंह के जायज वारिस है या नहीं वादीगण स्वंय सिद्व करें।

उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर प्रकरण में तनकियात कायम की जाकर साक्ष्य लेखबद्व की गई। मौखिक साक्ष्य में पलविन्दर कौर पी.ड.–1,सत्यवीर पी.ड.–2, बलबीर कौर पी.ड. –3 के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में पलविन्दर कौर का वारिसान बाबत शपथ पत्र प्रदर्श–1,महेन्द्र सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श–2, बलबीर कौर का वारिसान बाबत शपथ पत्र प्रदर्श–3, जगमीतसिंह का वारिसान बाबत शपथ पत्र प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी स. 2064–67 प्रदर्श–5, पेश किये गये।

हमने वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार हैः–

<u>तनकी न.1 :–</u>आया विवादित आराजी ख.न.50 रकबा 5 बीधा 7 बिस्वा तथा ख.न.51 रकबा 5 बीधा 5 बिस्वा में 1/2 भाग तथा 1/5 भाग रतनसिंह पुत्र हरनामसिंह की खातेदारी की आराजी है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। जमाबन्दी स. 2064–67 प्रदर्श–5 के अनुसार आराजी ख.न. 50 एवं 51 में अन्य खातेदारान् के साथ रतनसिंह पुत्र हरनामसिंह जाति जाट सिक्ख खातेदार का अकंन दर्ज रिकार्ड है। अतः राजस्व अभिलेख में दर्ज अंकन के अनुसार तनकी न.1 को वादीगण साबित करने में सफल रहे है लिहाजा तनकी न.1 बहक वादीगण तय की जाती है।

<u>तनकी न.2 :–</u> आया रतनसिंह पुत्र हरनामसिंह ना औलाद फौत हो गया था जिसके वारिस वादीगण है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण का कथन है कि हरनामसिंह के तीन पुत्र रतनसिंह महेन्द्रसिंह व लक्ष्मणसिंह थे। महेन्द्रसिंह के वादीयागण 1 व 2 पुत्रीयॉ है तथा लक्ष्मणसिंह के वादी न.3 पुत्र वारिस है। रतनसिंह ना ओलाद फौत हो गया था

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

जिसके वादीगण ही जायज वारिस है। वादीगण ने अपने वाद पत्र के जि.न. 2 में सजरा वर्णित किया गया है जिसके अनुसार रतनसिंह हरनामसिंह का पुत्र बताया गया है परन्तु रतनसिंह ना औलाद फौत हो गया इस तथ्य के समर्थन में वादीगण ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है और ना ही मृतक रतन सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है। मृतक हरनामसिंह की विरासत रतनसिंह ,महेन्द्रसिंह लक्ष्मणसिंह के नाम आई इसका भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। मृतक महेन्द्रसिंह की विरासत वादीयागण 1 व 2 के नाम आई तथा लक्ष्मणसिंह की विरासत जगमितसिंह के नाम आई इसका भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य वादीगण ने पेश नहीं किया है। मृतक रतनसिंह ना औलाद था तथा वादीगण का ताउ था इस बारे में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। इस सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रलेखीय साक्ष्य वादीगण ने पेश नहीं किया है जिससे वादीगण के मृतक रतनसिंह के लीगल वारिसान होने का तथ्य साबित होता हो। केवल अपने स्वंय के शपथ पत्र पेश किये गये है। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में केवल शपथ पत्र के आधार पर वादीगण को मृतक रतनसिंह के वारिसान मान लेना तर्कसंगत नहीं है। वादीगण सक्षम प्राधिकारी से मृतक रतनसिंह के लीगल वारिसान होने का प्रमाण पत्र लेने के उपरान्त ही उसकी सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त करने के हकदार है। वादीगण द्वारा जो प्रलेखीय साक्ष्य पत्रावली में पेश की गई है उनके आधार पर वादीगण का मृतक रतनसिंह का लीगल वारिसान होने का तथ्य कतई साबित नहीं होता है। केवल मात्र वाद पत्र में व शपथ पत्र में वारिसान होने का अंकन कर देने से वादीगण के कथनों की पुष्टि नहीं होती है। पत्रावली पर ऐसा कोई ठोस आधार विद्यमान नहीं है जिसके आधार पर प्रलेखीय साक्ष्य के अभाव में वादीगण के कथनो पर विश्वास किया जा सके। अतः वादीगण का मृतक रतनसिंह के लीगल वारिसान होने का कथन साबित नहीं होने के कारण तकनी न. 2 विरूद्व वादीगण तय की जाती है।

तनकी न.3 :– आया वादीगण आराजी ख.न. 50 रकबा 5 बीधा 7 बिस्वा में 1/2 भाग व ख.न.51 रकबा 5 बीधा 7 बिस्वा में 1/5भाग में से 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है।

जैसाकि तनकी न.2 में विवेचित किया जा चुका है कि वादीगण मृतक रतनसिंह के लीगल वारिसान होने के तथ्य को साबित करने में असफल रहे है। चूंकि मृतक रतनसिंह ना–ओलाद फौत हुआ है तथा वादीगण उसके लीगल वारिसान है जब तक यह तथ्य साबित नहीं हो जाता तब तक वादीगण को रतनसिंह की उक्त आराजी में किसी प्रकार के हक व अधिकार हासिल नहीं होते है। अतः तनकी न.3 को तनकी न.2 के अध्यधीन विरूद्व वादीगण तय किया जाता है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

आदेश

वादीगण का दावा बाबत आराजी ख.न. 50 रकबा 5 बीधा 7 बिस्वा में 1/2 भाग व ख. न. 51 रकबा 5 बीधा 7 वाके ग्राम शीलगॉव तहसील मुण्डावर दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

(योगेश कुमार डागुर) 08.7.19
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) सज०

निर्णय आज दिनांक 08.7.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर) 08.7.19
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) सज०

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

पीठासीन अधिकारी : योगेश कुमार डागुर, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सख्या : 18/2010

तारीख दायरा : 16.03.2010

उनवान

1.बलबीर कोर पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट सिख निवासी सीलगांव तहसील मुण्डावर।

2.पलविन्दर कौर पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट सिख निवासी सीलगांव तहसील मुण्डावर।

3.जगमीतसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति जाट सिख निवासी सीलगांव तहसील मुण्डावर।

.....वादीगण।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसील मुण्डावर। ....प्रतिवादी।

(इस्तकराहक अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट)

पर्चा डिक्री दिनांक 08.7.19

वादीगण का दावा बाबत आराजी ख.न. 50 रकबा 5 बीधा 7 बिस्वा में 1/2 भाग व ख.न. 51 रकबा 5 बीधा 7 वाके ग्राम शीलगॉव तहसील मुण्डावर दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

(योगेश कुमार डागुर)
08.7.19
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner